झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–02/2024– 705 व०प०, राँची, दिनांक–29/02/24

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक,
राँची–834002.

विषय :–मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–47 दिनांक–12.01.2024 एवं पत्रांक–87 दिनांक–01.02.2024 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ख) प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(ग) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल अंतर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित 10.19 हे0 गैर वनभूमि को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में Transfer एवं Mutation कराया जायेगा।

(घ) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित 10.19 हे0 गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(ङ) वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ वन प्रमंडल द्वारा अनुशंसित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

(च) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में Penal Provision का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

(छ) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
29/2/2024
(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–02/2024–705 व०प०, राँची, दिनांक–29/02/24

प्रतिलिपि– सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–11003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

29/2/2024
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–02/2024–705 व०प०, राँची, दिनांक–29/02/24

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/Technical Head, Aloke Steel Industries Pvt. Ltd., Opp. Ashok Cinema, Ranchi Road, Marar, Dist-Ramgarh-829117 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/2024
विशेष कार्य पदाधिकारी।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion (Regularization) of 9.27 ha for Project of Aloke Steel Industries Pvt. Ltd. under Ramgarh Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion (Regularization) of 9.27 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.- 705 dated- 29/02/24

29.02.2024

Rajdeep Sanjay Lal John
Special Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Special Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन–834002 Email ID : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 87 दिनांकः– 01/2/2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं0 FP/JH/ENCRH)39652/2019 के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक 47 दिनांक 12.01.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 FP/JH/ENCRH)39652/2019 हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 130 दिनांक 30.01.2024 द्वारा उनका मंतव्य उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 47 दिनांक 12.01.2024 के क्रम में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

01/02/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

1.2.24

570
5/2/2024

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं0 388
01 FEB 2024
झारखण्ड, राँची।

15

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।

Email: pccf-wildlife@gov.in,Phone No. 0651-2481744

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांकः–900(WL)P/2023-24-130 दिनांकः– 30.1.2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषयः– मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लान्ट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं0 FP/JH/ENCRH/39652/2019 के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– आपका ज्ञापांक 47 दिनांक 12.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि इस कार्यालय का पत्रांक 103 दिनांक 25.01.2024 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से विषयक प्रस्ताव पर वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की आवश्यकता एवं सार्थकता के सम्बन्ध में स्पष्ट मंतव्य की माँग की गयी थी।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो ने अपने पत्रांक 185 दिनांक 29.01.2024 (सानुलग्नक, छायाप्रति संलग्न) द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल से प्राप्त मंतव्य पर अपनी सहमती जतायी है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मंतव्य से सहमत होते हुये अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य है कि विषयक प्रस्ताव पर वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

अनु0– यथोक्त।

30/01/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड।

260
01/2/24

(14)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 47 दिनांकः– 12/1/2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं0 FP/JH/ENCRH)39652/2019 के संबंध में।

प्रसंग :– वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 1387 दिनांक 11.12.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना हैं कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 FP/JH/ENCRH)39652/2019 हेतु कुल **9.27** हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल बोकारो के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. यह परियोजना रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. यह प्रस्ताव नियमितिकरण से संबंधित है।
3. Form-A Part-I के अनुसार इस परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को **कुल 21.16 हे0** भूमि की आवश्यकता है जिसमें 9.27 हे0 वनभूमि एवं **11.89 हे0** गैर वनभूमि शामिल है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0सं0	वन प्रमण्डल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे0 में)	जंगल– झाड़ी का रकवा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
1.	रामगढ़	2.27 हे0	7.00 हे0	0.5 एवं 0.3

5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन संलग्न है।
6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/संलग्न है। जो निम्नवत् है:–

Abstract Land Schedule of Forest Land within the Total Area of M/s Aloke Steel Industries Pvt Ltd in Village-Budhakhap, P.O.- Karma, Dist- Ramgarh, Jharkhand State

Sl. No.	Village	Khata No.	Plot No.	Certified Land Schedule (Area in Ac.)	Type of Land	Name of Owner as per deed
1	Budhakhap	1	272	5.43	Notified Forest	Govt. of Jharkhand
2			345	0.18	Notified Forest	Govt. of Jharkhand
Total Area in Acres				5.61		
Total Area in Hectare				2.27 Ha.		

Sl. No.	Village	Khata No.	Plot No.	Certified Land Schedule (Area in Ac.)	Type of Land	Name of Owner as per deed
1	Budhakhap	1	238	0.02	GM JJ Land	Sri Bikash Kr. Agarwal
2			258	0.82	GM JJ Land	Sri Bhikhu Mahto
3			272	15.03	GM JJ Land	Sri Ruplal Mahto & Othrs
4			345	1.44	GM JJ Land	Sri Bikash Kr. Agarwal
Total Area in Acres				17.31		
Total Area in Hectare				7.00 Ha.		

Sl. No.	Village	Area In Ha.	Type of Land
1	Budhakhap	2.27	Notified Forest
2	Budhakhap	7.00	GM JJ Land
Total		9.27	

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 181
16 JAN 2024

(13)

7. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निर्धारित Format पार्ट–II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है।
8. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
9. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर प्रस्तावित मिनी प्लांट स्थल को दिखाते हुए संलग्न है।
11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
13. वन प्रमंडल पदाधिकरी, रामगढ़ द्वारा पार्ट–II में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि पर कुल 1897 वृक्ष अवस्थित है।
14. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है।
15. **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने Form-A पार्ट–I के कंडिका 04 में उल्लेख किया है कि** "Yes, Environmental Clearance has already obtained vide MoEF&CC letter no. – J-11o11/205/2016-IA II (I) dated 23.07.2018. Copy of EC is enclosed with this proposal Copy of Executive Summery of Environmental Management plan is enclosed with this proposal as Annexure-IX.
16. वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा इस परियोजना को इस शर्त पर अनुशसा की गयी है कि "U.A should compliance of EC and data about stack emissions on monthly basis to Divisional Forest Office too."
17. इस परियोजना अर्तग्रस्त 7.00 हे0 **जंगल–झाड़ी** वनभूमि के उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त रामगढ़ के ज्ञापांक 333 दिनांक 14.03.2023 द्वारा 17.31 एकड़ हेतु अनापति–प्रमाण पत्र प्राप्त है। जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
18. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, **2006** के तहत् संबंधित उपायुक्त रामगढ़ के ज्ञापांक 1274 दिनांक 15.09.2022 द्वारा 9.27 हे0 वनभूमि हेतु निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त है। साथ ही इस क्रम में हुई आमसभा/ग्रामसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न है। **परन्तु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में FRA प्रमाण–पत्र (Form-II Other than Linear Project) में प्राप्त नहीं है।** इस हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।
19. वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा अपने पार्ट–2 के कंडिका–11 के उप कंडिका–1 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा **उल्लंघन** किये जाने की सूचना दी गयी है।
20. वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि सम्पूर्ण आवेदित 9.27 हे0 वनभूमि में कुल रकवा 7.00 हे0 वनभूमि अतिक्रमण के श्रेणी में आवेदित है तथा 18 वर्षो से कार्यरत है।
21. पार्ट–2 के कंडिका–11 के उप कंडिका–1 के 'c' में वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा **Action taken against the person responsible for violation** के कॉलम में यह उल्लेख किया गया है कि ***"Not Applicable as the JJ Land was settled to raiyats before Nineteen Hundred Eighty and it is a case of unaware no compliance Only after land schedule was obtained from CO for forest diversion proposal real nature of land came into cognizance of authorities and area proposal was increased to include old JJ Thus no case has been registered by revenue or Forest"***
22. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
23. अपयोजन हेतु प्रस्तावित **9.27 हे0** वनभूमि के समतुल्य **9.27 हे0** गैर वनभूमि के विरूद्ध **कुल 10.19 हे0** गैर वनभूमि क्षतिपूरक वनरोपण के लिये चयन किया गया है। जो निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना एवं थाना नं0	प्लॉट नं0	गैर वनभूमि का रकवा हे0 में
1	गिरिडीह पूर्वी	कोरबंधा	गाण्डेय/629	447, 448, 449, 450 एवं 454	3.72 हे0
2		पुरहरा	देवरी/ 120	11 एवं 29	6.47 हे0
				कुल :	**10.19 हे0**

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का डीड पेपर, लगान रशीद, नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

24. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय

25. प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
26. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है।
27. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में Penal Provision के तहत प्रस्तावित **9.27** हे0 वनभूमि के अपयोजन / नियमितिकरण (***Regularization)*** के लिए अनुशंसा की जाती है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ सलंग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना प्रस्ताव हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0ः–यथोक्त।
मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

12/01/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

12.1.24

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

ALOKE STEEL INDUSTRIES PVT LTD. Ramgarh 9.27 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

*Recommended for **diversion** (Regularization) of 9.27 ha of Forest land Under Provisions of FC Act 1980.*

Date :- 12.01.2024

Place :- Ranchi

Signature

(Shashikar Samanta)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो-827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० – 8987790301

पत्रांक : 1387, दिनांक : 11/12/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
—सह—
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :— **मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में। (FP/JH/ENCRH/39652/2019)**

प्रसंग :— वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल का पत्रांक 2502 दिनांक 14.11.2023।

3762
18/12/2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के द्वारा मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि 9.27 हे0 वनभूमि(अधिसूचित वनभूमि 2.27 हे0 तथा गैर मजरूआ जंलग—झाड़ी दर्ज भूमि 7.00 हे0) अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

प्रस्तावित अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि की विवरणी निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	जिला	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे0 में)	जंगल—झाड़ी दर्ज भूमि का रकवा (हे0 में)	अपयोजन हेतु प्रस्तावित कुल वनभूमि का रकवा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1.	रामगढ़ वन प्रमण्डल	रामगढ़	2.27	7.00	9.27

क्षतिपूरक वनरोपण हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया अपयोजित होने वाली भूमि के समतुल्य गैर वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण—पत्र के साथ गिरीडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :—

क्र0सं0	प्रमण्डल का नाम	जिला	मौजा का नाम	थाना / थाना नं0	शुद्ध रकवा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1.	गिरीडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	गिरीडीह	कोरबंधा	गाण्डेय—629	3.72
2.			पुरहरा	देवरी—120	6.47
				कुलः—	10.19

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से प्रस्तुत वनभूमि अपयोजन के Justification एवं Purpose wise break-up से सहमति व्यक्त की गई है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के उ अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं। इस पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से अन् कर ली गई है।

उपर्युक्त प्रस्ताव की Online uploading की कार्रवाई भी पूर्ण कर ली गयी है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल से प्राप्त प्रस्ताव अभिलेखों के साथ 06 (छः) प्रतियों में संलग्न कर अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न अभिलेखों की विवरणी चेक लिस्ट में संलग्न है।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

11-12-23

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

11/12/2023